रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012026-269325
CG-DL-E-13012026-269325

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947
No. 170] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 180(अ).— केन्द्रीय सरकार ने भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2732 (अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2014 द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों को महाराष्ट्र राज्य के पुणे महानगर क्षेत्र में लागू होने को विस्तारित किया था।

केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुणे मेट्रो रेल परियोजना, चरण-1 कॉरिडोर I (पिंपरी-चिंचवाड़ से स्वारगेट) और कॉरिडोर-2 (वनाज से रामवाड़ी) के मेट्रो संरेखण को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.95(अ), तारीख 5 जनवरी, 2018 द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में जोड़ा;

केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3706 (अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2019 द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में पुणे मेट्रो रेल परियोजना-चरण-1 (कॉरिडोर-2) के मेट्रो संरेखण में परिवर्तन किया था;

केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2819(अ), तारीख 19 अगस्त, 2020 द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में पुणे मेट्रो रेल परियोजना-चरण-1 (कॉरिडोर-1) के मेट्रो संरेखण में परिवर्तन किया था;

केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना का.आ. 3706(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2019 और का.आ. 2819(अ), तारीख 19 अगस्त, 2020 को, क्रमशः अधिसूचना का.आ. 2220, तारीख 7 जून, 2024 और का.आ. 372(अ), तारीख 21 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित किया, जिससे कि उक्त अधिनियमों की अनुसूची में पुणे मेट्रो रेल परियोजना कॉरिडोर-1 और कॉरिडोर-2 के कुछ स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए जा सकें;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मेट्रो रेल जिससे यह संरेखण संबंधित है, के सन्निर्माण और अनुरक्षण के लिए और परिवर्तन आवश्यक है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं में उक्त सारणी के स्तंभ (3) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट विस्तार तक निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

सारणी

क्र. सं.	अधिसूचना की संख्या और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1	अधिसूचना संख्या का.आ. 3706 (अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2019	उक्त अधिसूचना में, - (i) " आइडियल कालोनी" शब्दों के स्थान पर "पौड फाटा" शब्द रखे जाएंगे; (ii) "नल स्टॉप" शब्दों के स्थान पर "एस.एन.डी.टी. कॉलेज" अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।
2.	अधिसूचना संख्या का.आ. 2819 (अ), तारीख 19 अगस्त, 2020	उक्त अधिसूचना में, "मंडई" शब्द के स्थान पर "महात्मा फुले मंडई" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. के-14011/16/2017-एमआरटीएस-II]

जयदीप, विशेष कार्य अधिकारी (शहरी परिवहन)

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2026

S.O. 180(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had extended the application of the provisions of the said Act to the Pune Metropolitan Area in the State of Maharashtra *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Urban Development number S.O. 2732(E), dated the 21st October, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii);

Whereas, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 32 of the said Act, the Central Government added metro alignment of Pune Metro Rail Project, Phase-1 corridor 1 (Pimpri-Chinchwad to Swargate) and corridor-2 (Vanaz to Ramwadi) to the Schedule of the said Act *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Housing and Urban Affairs number S.O. 95(E) dated 5th January, 2018;

Whereas the Central Government made alteration to the metro alignment of Pune Metro Rail Project-Phase-1 (Corridor-2) in the Schedule of the said Act by a notification of the Government of India in the Ministry of Housing and Urban Affairs *vide* number S.O. 3706(E), dated 14th October, 2019;

Whereas the Central Government made alteration to the metro alignment of Pune Metro Rail Project-Phase-1 (Corridor-1) in the Schedule of the said Act by a notification of the Government of India in the Ministry of Housing and Urban Affairs *vide* number S.O. 2819(E), dated 19th August, 2020;

Whereas in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 32 of the said Act, the Central Government amended the notifications S.O. 3706 (E), dated the 14th October, 2019 and S.O. 2819 (E), dated the 19th August, 2020 *vide* notifications S.O 2220, dated the 7th June, 2024 and S.O. 372 (E), dated the 21st January, 2025, to change the names of some stations of Pune Metro Rail Project Corridor-1 and Corridor-2 in the Schedule of the said Acts;

And whereas the Central Government is of the opinion that further alteration is necessary for the construction and maintenance of the Metro Railways to which this alignment relates.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 32 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendments in the notifications specified in column (2) of the Table below to the extent specified in the entries in column (3) of the said Table, namely: –

TABLE

S. No.	Notification number and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1	Notification number S.O. 3706 (E), dated the 14th October, 2019.	In the said notification, - i. for the words "Ideal Colony", the words "Paud Phata" shall be substituted; ii. for the words "Nal Stop", the letters and word "S.N.D.T. College" shall be substituted.
2	Notification number S.O. 2819 (E), dated the 19th August, 2020.	In the said notification, for the word "Mandai", the words "Mahatma Phule Mandai" shall be substituted.

[F. No. K-14011/16/2017-MRTS-II]

JAIDEEP, Officer on Special Duty (UT)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA